भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : *170
गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2023(23 अग्रहायण, 1945 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर
*****

पुदुचेरी विमानपत्तन का विस्तार

***170. श्री वी. वैथिलिंगम :**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पुदुचेरी विमानपत्तन से बड़े विमानों का परिचालन करने के लिए इसके विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पुदुचेरी विमानपत्तन को रात्रि लैंडिंग सुविधा प्रदान किए जाने की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी; और

(ग) क्या मंत्रालय की पुदुचेरी में विमान प्रचालनों में, जैसे कि पुदुचेरी-शिरडी, पुदुचेरी-कोचीन, पुदुचेरी-तिरुपति, सुधार लाने के लिए उड़ान-आरसीएस के अंतर्गत कुछ मार्गों को अनुमोदित करने की योजना है और यदि हां तो तत्संबंधी मार्गों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

******

"पुदुचेरी विमानपत्तन का विस्तार" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 14.12.2023 के तारांकित प्रश्न (*) संख्या 170 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): पुदुचेरी के मौजूदा हवाईअड्डे की रनवे लंबाई 1502 मीटर है, जो 72-सीटर क्यू-400/एटीआर-72 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त है। रात्रि लैंडिंग सुविधा सहित, उपकरण उड़ान नियमावली (आईएलएफआर) शर्तों के तहत ए-321 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए इसे उपयुक्त बनाने हेतु, इसके रनवे का 3330 मीटर तक विस्तार, तमिलनाडु में 395 एकड़ अतिरिक्त भूमि और पुदुचेरी में 30 एकड़ भूमि, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा, सौंपे जाने पर निर्भर है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को, हवाईअड्डे के विकास के लिए, निःशुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त भूमि, संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रदान की जानी है।

(ग): स्पाइसजेट लिमिटेड ने उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान), क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत दिनांक 16.08.2017 को "हैदराबाद - पुदुचेरी - हैदराबाद" मार्ग पर प्रचालन आरंभ किया है, और इसने 3 वर्ष की निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक अर्थात आज की तारीख तक अपना प्रचालन जारी रखा है। चूँकि इस हवाईअड्डे से साप्ताहिक प्रस्थान सात से अधिक है, अतः इस हवाई अड्डे को अब अल्प-परिचालित हवाई अड्डे की क्षेणी में नहीं रखा जा सकता। परिणामत: यह हवाई अड्डा, उड़ान 5.0 जिसका उद्देश्य, विशिष्ट रूप से अपरिचालित और अल्प परिचालित हवाईअड्डों के लिए सम्पर्क बढ़ाना है, के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा, शिरडी, कोचीन और तिरूपति हवाईअड्डों को पहले से ही परिचालित हवाई अड्डों के रूप में नामित किया गया है और इसलिए दो परिचालित हवाईअड्डों को, आरसीएस के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है। यदि कोई एयरलाइन किसी अपरिचालित या अल्प परिचालित हवाईअड्डे से, पुदुचेरी हवाईअड्डे के लिए सम्पर्क हेतु बोली लगाती है, तो उस पर उड़ान आरसीएस के दायरे के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

*****